फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर)

गोरधनप्रसार शर्मा पुत्र चांदाराम वगैराह **बनाम** सुगनाराम पुत्र चांदाराम वगैराह

किस्म मुकदमा धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 9 /2023) (सन् 2023)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
13.01.2023	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगणों के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने एवं मौका स्थिति में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगणों के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 30.01.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम पेंहपनगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2194 की भूमि पर अप्रार्थीगण निर्माण कार्य नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त खसरों में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 30.01.2023 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बालेसर	
30/1/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वकील A.O. की तरफ से पेश। [illegible] 1/3/23 को पेश हो। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
5/8/24	पत्रावली [illegible] । पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/छुट्टी [illegible] पर है। पत्रावली इलत्वा होकर दिनांक 17/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/9/24	अधिवक्ता अनु. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/10/24 को पेश हो।	
29/10/24	पत्रावली [illegible] राजकीय कार्य/ [illegible] पर है। पत्रावली इलत्वा [illegible] 10/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/12/24	पत्रा[illegible] । पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। [illegible] इलत्वा [illegible] 15/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/1/25	अधिवक्ता अनु.। न्यायालय परिसर में तीन आवाज लगाई गई प्रार्थी उप. नहीं। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड [illegible]ारी, बालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested